

(16)

बिहार सरकार  
नगर विकास एवं आवास विभाग  
(बिहार शहरी विकास अभिकरण)  
॥ कार्यालय आदेश ॥

सं0सं0-04/RAY-05/2015- 123


राजीव आवास योजना (RAY) के अन्तर्गत एक मंजिले आवासीय इकाईयों एवं आधारभूत संरचना के निर्माण हेतु वित्तीय वर्ष 2014-15 में निकासी की गई राशि का 50% प्रथम किस्त की राशि नगर निकायों को विमुक्त करने की स्वीकृति निम्न प्रकार प्रदान की जाती है:-

(राशि लाख में)

क्र० सं०	निकाय का नाम	परियोजना का नाम	कुल परियोजना लागत	वर्तमान में आवंटित प्रथम किस्त की राशि (50%)		कुल राशि (5+6)
				आवास की राशि	आधारभूत संरचना की राशि	
1	2	3	4	5	6	7
1	पटना नगर निगम	पटना फेज-I	2815.83	382.48	70.45	452.94
2	पटना नगर निगम	पटना फेज-II	3857.62	536.14	86.07	622.21
3	गया नगर निगम	गया फेज-I	7589.80	1018.98	234.15	1253.12
4	दरभंगा नगर निगम	दरभंगा फेज-I	8052.43	1133.94	195.80	1329.74
5	कटिहार नगर निगम	कटिहार फेज-I	8841.84	1096.34	362.04	1458.39
6	पूर्णिया नगर निगम	पूर्णिया फेज-I	9393.97	1161.83	387.56	1549.39
					कुल-	6665.79

(छियासठ करोड़ पैंसठ लाख उनासी हजार रू० मात्र)

2. अतः उपरोक्त विवरणी के स्तंभ 05 एवं 06 में अंकित राशि संबंधित निकाय को योजना के कार्यान्वयन हेतु RTGS के माध्यम से संबंधित बैंक खाता में उपलब्ध करा दी जाय।


  
21.4.15

प्रधान सचिव,  
नगर विकास एवं आवास विभाग।

ज्ञापांक-04/RAY-05/2015- 2211

पटना, दिनांक- 22-4-15

प्रतिलिपि:-लेखापाल बुडा, नगर विकास एवं आवास विभाग को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

  
21.4.15

प्रधान सचिव।

ज्ञापांक-04/RAY-05/2015- 2211

पटना, दिनांक- 22-4-15

प्रतिलिपि:-सभी संबंधित नगर आयुक्त को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।



प्रधान सचिव।

